के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी ईएसआइ में 120 रुपये प्रति वर्ष में मिलेंगी सेहत सेवाएं

जागरण संवाददाता, जालंधर : ईएसआइसी की ओर से सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्राथमिक चिकित्सा हितलाभ देने का प्रविधान है। मात्र 120 रुपये प्रति वर्ष की अदायगी से पति-पत्नी दोनों ईएसआइ से ये लाभ ले सकते हैं। वहीं, रोजगार के दौरान चोट के कारण दिव्यांग होने की वजह से नौकरी छूटने के बाद भी लोगों को प्राथमिक चिकित्सा हितलाभ देने का प्रविधान है। ईएसआइसी के उप क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर के प्रभारी सुनील कुमार यादव ने बताया कि संस्थान बीमा धारकों को संकट की घड़ी में पूर्ण सहयोग देता है। निगम में व्याप्त इकाइयों से सेवानिवृत्त होने के बाद बीमित अपने तथा अपनी पत्नी के लिए ईएसआइ डिस्पेंसरी और अस्पताल से ओपीडी की सेवाएं ले सकता है। सेवाएं लेने के लिए उसे हर साल 120 रुपये की राशि जमा करवानी होगी। इसके बाद पति-पत्नी दोनों को ही प्राथमिक चिकित्सा हितलाभ मिलेगा। हालांकि संस्थान को उनके सेवानिवृत्त होने के लिए पत्र जारी करना होगा। इसके लिए उनका पांच साल तक का अंशदान जमा होना जरूरी है। पात्रता के मापदंडों के साथ वीआरएस लेने वाले भी इस लाभ के लिए योग्य हैं। वहीं दूसरी कैटेगिरी में अगर कोई कर्मचारी रोजगार के दौरान चोट के कारण दिव्यांग हो जाता है और उसकी नौकरी नहीं रहती तो भी ईएसआइसी उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा करता है। सुपरस्पेशलिटी सेवाओं को इस सुविधाओं के दायरे से बाहर रखा है।

आज बिजली बंद रहेगी